

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला झाबुआ (म.प्र.)

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह का टेण्डर द्वारा निष्पादन सम्बंधी विज्ञप्ति :-

--:विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक/एफ.बी.-01-06/2020/2/पांच, दिनांक 09.06.2020 एवं आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक/7/ठेका/2020-21/53 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि झाबुआ जिले में निविदा द्वारा निष्पादन हेतु 01 देशी मदिरा दुकान झाबुआ कं.2 एवं 01 विदेशी मदिरा दुकान झाबुआ कं.2 इस प्रकार कुल 02 मदिरा दुकानों का 01 एकल समूह में वर्ष 2020-21 अर्थात् 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य में 365 का भाग देने पर प्राप्त एक दिन के मूल्य को आरक्षित मूल्य मान्य किया जाकर, दिनांक 13.06.2020 से 19.06.2020 तक मदिरा दुकानों के संचालन के तात्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि हेतु मैन्यूअल निविदा/ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। म.प्र. राजपत्र असाधारण क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 एवं म.प्र. राजपत्र असाधारण क्रमांक 176 दिनांक 23.05.2020 में प्रकाशित समस्त सुसंगत प्रावधान प्रमाणी होंगे। निविदा के माध्यम से निष्पादन की जाने वाली जिला झाबुआ की मदिरा दुकानों/एकल समूह व उनमें सम्मिलित मदिरा दुकानों, उनके स्थान (Location), उनके आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि तथा निष्पादन कार्यक्रम आदि की जानकारी निम्नानुसार है :-


"निविदा द्वारा निष्पादन की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बंध में जानकारी"

क्र.	मदिरा दुकान/ एकल समूह का नाम	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक	मदिरा दुकानों का विवरण	दुकान/एकल समूह का वर्ष 2020-21 का वार्षिक मूल्य	01 दिन का आरक्षित मूल्य	07 दिन का आरक्षित मूल्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	7
1	झाबुआ समूह	JBU-F-8	(क) दे.म.दु. झाबुआ कं.2	11583264	31735	222145	10000
			(ख) दि.म.दु. झाबुआ कं.2	126266737	345937	2421559	
योग :-				137850001	377672	2643704	10000

निविदा के माध्यम से मदिरा समूह का निष्पादन कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाएगा :-

1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से 12 जून, 2020 अपराह्न 12:00 बजे तक।
2	निविदा ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से 12 जून, 2020 अपराह्न 14:00 बजे तक।
3	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12 जून, 2020 अपराह्न 16:00 बजे से।
4	निविदा प्रपत्र खोलने का स्थान	कलेक्टर के सभाकक्ष झाबुआ

निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूह को लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति निविदा की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। निविदा से सम्बंधित नियमों, दुकानों का विवरण, मादक द्रव्यों की खपत, ड्यूटी दर एवं अन्य आनुषांगिक शर्तों की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला झाबुआ से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।



(प्रवल सिपाहा)
कलेक्टर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)

झाबुआ, दिनांक 10/06/2020

पुक्रमांक/आब./ठेका/2020-21/ 1333

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, "मंत्रालय" बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता तंभाग की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- 7- सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
- 9- सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला झाबुआ की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा अन्य समाचार पत्रों में सूचना के रूप में प्रकाशन हेतु।
- 10- तहसीलदार, तहसील की ओर सूचनार्थ।
- 11- सहायक जिला आबकारी अधिकारी, क्षेत्र की ओर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 12- मध्य भाण्डागार अधिकारी, मध्य भाण्डागार की ओर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 13- आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त- की ओर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 14- कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 15- आबकारी कार्यालय झाबुआ के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु है।


कलेक्टर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)